बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–:: संकल्प ::–

पटना–15, दिनांक 30.03.26

मो0 फैजान सरवर, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–630/2024, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोपालगंज सदर के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1670 दिनांक–09.09.2025 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र इस विभाग को मो0 सरवर के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा सहित उपलब्ध कराया गया।

मो० सरवर के विरूद्ध दाखिल–खारिज अपीलवाद एवं भूमि विवाद निराकरण मामलों के निष्पादन में गम्भीर शिथिलता बरतने, विभागीय दिशा–निर्देशों की अवहेलना करने एवं उनके कार्यकाल में विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में उनके कार्यालय की रैंकिग असंतोषजनक रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त आरोप–पत्र के आधार पर विभाग के स्तर से आरोप–पत्र पुनर्गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक–18266 दिनांक–24.09.2025 द्वारा मो0 सरवर से लिखित अभिकथन/बचाव बयान की मांग की गयी।

मो0 सरवर द्वारा समाहरणालय, मधेपुरा के पत्रांक–1898 दिनांक–13.10.2025 के माध्यम से अपना बचाव का लिखित अभिकथन इस विभाग को समर्पित किया गया।

मो० सरवर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि :–

(i) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रत्येक माह की जा रही समीक्षा एवं मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा भी प्रत्येक माह विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यक्रमों की जिला पदाधिकारियों के साथ की जा रही मासिक समीक्षा के आधार पर पाया गया कि मो० सरवर सहित कतिपय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ताओं द्वारा राजस्व कार्यों के निष्पादन में अत्यंत शिथिलता बरती गयी है तथा बार–बार विभाग के स्तर से एवं मुख्य सचिव, बिहार के स्तर से निदेश दिये जाने के बावजूद इनके कार्य–कलापों में कोई सुधार नहीं हुआ।

(ii) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में इनके द्वारा बरती गयी शिथिलता एवं लापरवाही को रेखांकित करते हुए इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी। इनके बचाव अभिकथन में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि विभागीय मूल्यांकन में इनकी रैंकिंग 46 से 71 के बीच रही है, जो संतोषजनक नहीं माना जा सकता है।

(iii) इनके पदस्थापन काल में लंबित मामलों की संख्या भी काफी अधिक है, जो इनके पदीय दायित्व के निर्वहन में बरती गयी शिथिलता एवं लापरवाही का द्योतक है।

समीक्षोपरांत मो0 सरवर द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए इनके द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी शिथिलता एवं लापरवाही के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत मो0 फैजान सरवर, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–630/2024, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोपालगंज सदर को एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–27/आरोप–01–29/2025 सा0प्र0...5779.../पटना–15, दिनांक...30.03.26.

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/ मो0 फैजान सरवर, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–630/2024, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोपालगंज सदर सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14/चारित्री कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/3/26
सरकार के अपर सचिव।